वॉचमैन की भर्ती

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 के अधिनियम संख्या 37) तहत स्थापित तथा सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से एक भारतीय खाद्य निगम(एफ सी आई), जोकि खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन से निपटने का कार्य करता है, पूरे मध्यप्रदेश क्षेत्र में फैले गोदामों और कार्यालयों के लिए वॉचमैन के पद की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है| पात्र उम्मीदवारों जो पद के लिए नीचे दी गई निर्धारित योग्यता, आयु आदि को पूरा करते हैं, से केवल ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं: -

(कुल रिक्तियों की संख्या - 217)										
पद	वेतनमान (आई.डी.ए पैटर्न) (पूर्व संशोधित) (एस-1)	01/10/2017 को न्यूनतम आयु सीमा	01/10/2017 को अधिकतम आयु सीमा	एस. सी	एस.टी.	ओबीसी	पी.डब्लू.डी	एक्स. सर्विसमैन	अनारक्षित	कुल
वॉचमैन	रु. 8100-18070	18 वर्ष	25 वर्ष	32	43	32	कुल - 06 {(03) OH(OL,BL) श्रेणी में एवं (3) HH श्रेणी (उपयुक्त यंत्र/उपकरण के साथ)}	53	110	217

UR - अनारक्षित; SC - अनुसूचित जाति; ST - अनुसूचित जनजाति; OBC - अन्य पिछड़ा वर्ग; PWD/PH - शारीरिक रूप से अक्षम/विकलांग व्यक्तियों

एफसीआई प्रबंधन अपने विवेकाधिकार एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार रिक्तियों की संख्या में वृद्धि / कमी कर सकता है। यदि रिक्त पदों की संख्या घटती है, तो उम्मीदवारों को किसी भी पद के लिए दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

युद्ध में मारे गए सैनिकों के आश्रितों और पीडब्लूडी /भूतपूर्व सेवाकर्मी श्रेणी को समान आरक्षण दिया गया है|(ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होनें भूतपूर्व सैनिकों को पुन: रोज़गार प्राप्त करने के लिए दिए जाने वाले आरक्षण के लाभों का उपभोग कर लिया है और केंद्र सरकार के अधीन ग्रुप सी एवं डी में नियमित आधार पर सिविल क्षेत्र में पहले ही रोज़गार प्राप्त कर लिया है, वे शुल्क रियायत अथवा भूतपूर्व (EXS) श्रेणी के अधीन आरक्षण के लाभों का दावा करने के लिए पात्र नहीं होंगें| तथापि, वे केवल आयु में छूट के लिए पात्र होंगें|

40% या उससे अधिक की विकलांगता वाले व्यक्ति पीडब्ल्यूडी / पीएच श्रेणी अर्थात ओएच-ओर्थोपैडिक विकलांग के लिए निर्धारित किए गए पदों हेतु आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी / पीएच) द्वारा भरे जाने वाले पद:

क्र.सं.	पद	वॉचमैन के पद की भर्ती हेतु विकलांगता श्रेणी
		ओएच (ओर्थोपैडिक विकलांग) एवं एच एच (श्रवण बाधित)
1.	वॉचमैन	ओएच(ओएल एवं बीएल) तथा एच एच (उपयुक्त यंत्र एवं उपकरण के साथ)

नोट : उपरोक्त को छोड़कर पीडब्लूडी की अन्य श्रेणी के लिए यह पद उपयुक्त नहीं पाया गया है।

1. ओएल - केवल एक पैर प्रभावित
2. बीएल - दोनों पैर प्रभावित होते हैं लेकिन हाथ नहीं

दिनांक 01/08/2017 को शैक्षणिक योग्यता :

पद	योग्यताएं
वॉचमैन	8वीं (मिडिल) पास

* केवल ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने 01/10/2017 को शैक्षणिक योग्यता पास कर ली है, आवेदन करने हेतु पात्र हैं| ऐसे उम्मीदवार जो वांछित परीक्षा में भाग ले रहे हैं या उनके उत्तीर्ण / परिणाम का प्रमाण दिनांक 01/10/2017 तक अख़बारों / वेबसाइटों के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन में घोषित नहीं किया गया है, इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं।

<u>नोट :</u>

1). उम्मीदवार को केवल एक बार ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा| एक से अधिक आवेदन करने की दशा में उम्मीदवारी को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा|

2). लिखित परीक्षा और/या शारीरिक परीक्षण के आधार पर शार्ट लिस्ट के पूर्व जब तक इसके लिए विशेष रूप से न कहा जाए, भरे हुए आवेदन फार्म की हार्डकॉपी या अन्य कोई भी समर्थक दस्तावेज़ न भेजे जाएं|

<u>आरक्षण और छूट :</u>

1. निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु सीमा इत्यादि की गणना दिनांक 01/10/2017 के आधार पर की जाएगी| अधिकतम आयु सीमा की छूट एससी/एसटी उम्मीदवारों के मामले में 05 वर्ष और ओबीसी उम्मीदवार को 03 वर्ष की छूट दी जाएगी|
2. भाखानि के विभागीय उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट की कोई सीमा नहीं होगी|
3. ऊपरी आयु सीमा पीडब्ल्यूडी / पीएच उम्मीदवारों के लिए 10 वर्ष, एससी/एसटी से संबंधित पीडब्ल्यूडी / पीएच उम्मीदवारों के लिए 15 वर्ष तथा ओबीसी से संबंधित पीडब्ल्यूडी / पीएच उम्मीदवारों के लिए 13 वर्ष के लिए छूट दी गई है।
4. उपरोक्त आरक्षण और छूट का लाभ ओबीसी क्रीमीलेयर में आने वाले उम्मीदवारों के लिए लागू नहीं है|
5. ऐसे आवेदकों को जिन्होंने जम्मू-कश्मीर राज्य के कश्मीर डिवीजन में 01/01/1980 से 31/12/1989 की अवधि के दौरान सामान्य तौर पर निवास किया है, को अतिरिक्त 05 वर्ष की आयु सीमा में छूट प्रदान की जाती है| ऐसे आवेदक, जो इस श्रेणी के अंतर्गत छूट का लाभ उठाना चाहते हैं, को कश्मीर डिवीजन में जिला मजिस्ट्रेट , जिनके क्षेत्राधिकार में वह सामान्य तौर पर निवासरत

रहा/ रही हो या जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार की ओर से इस आशय हेतु पदस्थापित किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र, जिसमें उनके 01/01/1980 से 31/12/1989 तक की अवधि के दौरान सामान्य तौर पर निवासरत होने का उल्लेख हो, प्रस्तुत करना होगा|

6. भूतपूर्व सैनिकों के लिए ऊपरी आयु सीमा दिनांक 01/10/2017 को उनकी वास्तविक आयु में से उनके द्वारा की गई वास्तविक सैन्य सेवा की अवधि को घटाने पर परिणामत: आयु को मानते हुए पद के लिए निर्धारित अधिकतम से 03 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए|(एस सी/एस टी के मामले में 08 वर्ष; ओबीसी उम्मीदवारों के मामले में 06 वर्ष)

नोट 1: ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होनें भूतपूर्व सैनिकों को पुन: रोज़गार प्राप्त करने के लिए दिए जाने वाले आरक्षण के लाभों का उपभोग कर लिया है और केंद्र सरकार के अधीन ग्रुप सी एवं डी में नियमित आधार पर सिविल क्षेत्र में पहले ही रोज़गार प्राप्त कर लिया है, वे शुल्क रियायत अथवा भूतपूर्व (EXS) श्रेणी के अधीन आरक्षण के लाभों का दावा करने के लिए पात्र नहीं होंगें| तथापि, वे केवल आयु में छूट के लिए पात्र होंगें|

नोट 2 : सशस्त्र बलों में एक भूतपूर्व सैनिक के "कॉल अप सर्विस" की अवधि भी आयु में छूट के उद्देश्य के लिए सशस्त्र बलों में दी गई सेवा के रूप में माना जाएगा।

नोट 3: तीनों केंद्रीय सशस्त्र बलों के सैनिकों को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए भूतपूर्व सैनिक माना जाएगा| उसने निश्चित ही पद/सेवा के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय प्राप्त कर लिया होगा, भूतपूर्व सैनिक की स्थिति और/अथवा सक्षम प्राधिकारी से दस्तावेज़ी सबूतों द्वारा उसकी पात्रता को प्राप्त करने की स्थिति में है कि वह समाप्ति दिनांक से निर्धारित एक वर्ष की अवधि के भीतर सशस्त्र बलों के लिए विनिर्दिष्ट कार्य को पूर्ण कर लेगा|

नोट 4 : भूतपूर्व सैनिक या शारीरिक विकलांग (ओएच) श्रेणी के उम्मीदवार, जोकि लिखित परीक्षा में आयु सीमा में छूट या शैक्षणिक योग्यताओं इत्यादि मानकों में रियायत के आधार पर सफल हो जाते है , उन्हें आरक्षित रिक्तियों में गिना जाएगा, न कि सामान्य रिक्तियों में , ऐसे उम्मीदवारों का चयन फिटनेस के अधीन होगा| जहाँ तक संबंध भूतपूर्व सैनिकों से है, भूतपूर्व सैनिकों की आयु में कटौती अनारक्षित या आरक्षित पदों के लिए स्वीकार्य होगी और इस प्रकार की छूट आयु के संबंध में रियायत मानकों में परिभाषित नहीं की जा सकती है|

स्पष्टीकरण 1 :

पूर्व सैनिक से आशय ऐसे व्यक्ति से है, जिसने केंद्र की नियमित सेना, जल सेना, वायु सेना में किसी भी रैंक में अपनी सेवा दी हो चाहे वह लड़ाकू सैनिक हो या गैर-लड़ाकू सैनिक हो, तथा जो ऐसी सेवा में अपनी पेंशन पात्रता पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त हुआ हो; या

1) चिकित्सा आधार पर सैन्य सेवा/परिस्थितियों जो कि उसके नियंत्रणाधीन न हो, ऐसी सेवा से जो कि सेवा मुक्त हुआ हो तथा चिकित्सा या अन्य विकलांग पेंशन से सम्मानित किया गया हो; या
2) संस्था में छटनी के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से परंतु अपने अनुरोध के आधार पर नहीं, सेवा मुक्त किया गया हो; या

3) जो कि विनिर्दिष्ट सेवा अवधि को पूरा करने के पश्चात स्वयं के अनुरोध पर या अकुशलता या दुराचार के कारण निष्काषित या सेवा मुक्त न किया गया हो, तथा जिसे ग्रेज्यूटी प्रदान की गई हो; तथा शासित सेना के कर्मियों की निम्नलिखित श्रेणी शामिल होगी:-

क) सतत सन्निहित सेवा के लिए पेंशन धारक,
बी) सैन्य सेवा के कारण विकलांग हुए व्यक्तियों; तथा
ग) वीरता पुरस्कार विजेता

स्पष्टीकरण -2

केंद्रीय सशस्त्र बलों में सेवाए देने वाले व्यक्तियों, जो कि सेवानिवृत्त होने के पश्चात "भूतपूर्व सैनिको" की श्रेणी में आएंगे, को निर्दिष्ट सेवाएं समाप्त होने के एक वर्ष पूर्व ही पुन: रोजगार प्राप्त करने हेतु आवेदन करने तथा भूतपूर्व सैनिको को प्राप्त होने वाली सभी रियायतों का उपयोग करने हेतु अनुमति प्राप्त हो सकती है, परंतु उन्हें केंद्रीय सशस्त्र बल के अपनी निर्दिष्ट सेवा अवधि पूर्ण किए बिना वर्दी छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

नोट – 5 : भूतपूर्व सैनिको के पुत्रों/पुत्रियों एवं उनके आश्रितों को आयु छूट की पात्रता नहीं होगी।

1. विधवाओं/तलाकशुदा महिलाओं/न्यायिक आधार पर अलग हुई महिलाएं तथा जिन्होंने पुनर्विवाह न किया हो, आरक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमश: 35 वर्ष, 38 वर्ष तथा 40 वर्ष की आयु सीमा में छूट प्राप्त होगी।

<u>आवेदन शुल्क</u>

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / PWD(PH) को आवेदन शुल्क के भुगतान से संबंधित प्रदान की जाने वाली छूट उनके दावे के समर्थन में उचित प्राधिकारी द्वारा जारी जाति/ विकलांगता प्रमाण-पत्र अपलोड करने पर निर्भर होगा। महिला आवेदकों को भी आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त होगी। निर्दिष्टानुसार आवेदकों को छोड़कर, पद के लिए आवेदन करने हेतु निम्नलिखित भुगतान में से किसी भी एक प्रकार के भुगतान द्वारा आवेदन शुल्क रु.300/-(रुपये तीन सौ मात्र) (जीएसटी के साथ) जमा करना आवश्यक है:

- SBI इंटरनेट बैंकिंग, अन्य प्रमुख बैंको के इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड (आवेदन शुल्क 300/- के अतिरिक्त (जीएसटी के साथ) ऐसे Transaction पर लगने वाला चार्ज अभ्यार्थी द्वारा वहन किया जाएगा। इस प्रकार से आवेदन शुल्क के भुगतान करने की तिथि 12.11.2017 है।

- SBI की शाखाओं पर ई-चालान के द्वारा नकद भुगतान किया जा सकता है। चालान मोड पर लगने वाला अतिरिक्त बैंक शुल्क अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जाएगा। ई-चालान के द्वारा आवेदन शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि 12.11.2017 है।

  यह आवेदक के हित में होगा कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को तत्काल पूरा करने तथा पंजीकृत आवेदन फार्म जनरेट करने के लिए, वे चालान मोड के अलावा ऑनलाइन मोड का उपयोग करें।

एससी/एसटी/PWD(PH)/रक्षा कार्मिकों की सेवा/भूतपूर्व सैनिक (ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होनें भूतपूर्व सैनिकों को पुन: रोज़गार प्राप्त करने के लिए दिए जाने वाले आरक्षण के लाभों का उपभोग कर लिया है और केंद्र सरकार के अधीन ग्रुप सी एवं डी में नियमित आधार पर सिविल क्षेत्र में पहले ही रोज़गार प्राप्त कर लिया है, वे शुल्क रियायत अथवा भूतपूर्व (EXS) श्रेणी के अधीन आरक्षण के लाभों का दावा करने के लिए पात्र नहीं होंगें| तथापि, वे केवल आयु में छूट के लिए पात्र होंगें|)महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की गई है, जोकि उनके दावे के समर्थन में उचित प्राधिकारी द्वारा जारी जाति/विकलांगता/संबंधित प्रमाणपत्र/घोषणा पर निर्भर होगी|

<u>चयन प्रक्रिया</u>

चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा के बाद शार्ट लिस्टेड उम्मीदवारों के लिए शारीरिक क्षमता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

लिखित परीक्षा का पैटर्न

i) लिखित परीक्षा का पेपर (अवधि 120 मिनिट):
लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 120 बहुविकल्पीय प्रश्नों का समावेश होगा-

a. सामान्य ज्ञान/जागरुकता – 30 प्रश्न
b. तार्किक कौशल परीक्षण - 30 प्रश्न
c. सामान्य अंग्रेजी – 30 प्रश्न
d. अभिसंख्यात्मक योग्यता– 30 प्रशन

नोट -

1. प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। कोई भी ऋणात्मक अंक नही होगा।
2. प्रश्न-पत्र द्विभाषी अर्थात अंग्रेजी व हिंदी दोनो भाषाओं में होगा। (सामान्य अंग्रेजी को छोड़कर)

शारीरिक क्षमता परीक्षा का पैटर्न (अर्हता हेतु)

शार्ट लिस्टेड किए गए उम्मीदवारों को शारीरिक क्षमता परीक्षा के लिए स्थान/परीक्षा केंद्र जोकि बाद में अवगत कराया जाएगा, पर उपस्थित होने की आवश्यकता होगी। PET के लिए Criteria निम्नानुसार रहेगा –

<u>पुरुष उम्मीदवारों के लिए –</u>

(1) 100 मीटर की दौड़ - 16 सेकंड
(2) 1.6 किलोमीटर दौड़ - 07 मिनट
(3) लम्बी कूद - 3 प्रयासों में 3.65 मीटर
(4) ऊँची कूद - 3 प्रयासों में 1.2 मीटर

<u>महिला उम्मीदवारों के लिए</u>

(1) 100 मीटर की दौड़ - 20 सेकंड
(2) 800 मीटर की दौड़ - 04 मिनट
(3) लंबी कूद - 3 प्रयासों में 2.7 मीटर
(4) ऊँची कूद - 3 प्रयासों में 0.9 मीटर

नोट -

(i) लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर चुने गए उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट परिस्थितियों में लिखित परीक्षा/स्क्रीनिंग टेस्ट के एक अतिरिक्त चरण को प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रखती है तथा उम्मीदवारों की ऐसी संख्या को बुलाने का निर्णय केवल भारतीय खाद्य निगम द्वारा लिया जाएगा।

(ii) शारीरिक योग्यता परीक्षा में 1:3 के अनुपात में उम्मीदवारों की संक्षिप्त सूची तैयार की जाएगी तथा PET के लिए स्थान की सूचना वेबसाइट www.fciregionaljobs.com & www.fcimpapply.com के द्वारा दी जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे निरंतर वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।

(iii) शारीरिक योग्यता परीक्षा अर्हता प्राप्त करने हेतु है।

(iv) शारीरिक योग्यता परीक्षा अर्हता प्राप्त करने एवं लिखित परीक्षा के आधार पर अंतिम सूची तैयार की जाएगी। केवल उन ही उम्मीदवारों को अंतिम चयन हेतु स्वीकार किया जाएगा जिन्होंने शारीरिक योग्यता परीक्षा में अर्हता प्राप्त की होगी।

(v) लिखित परीक्षा/शारीरिक क्षमता परीक्षा में उपस्थित होने के लिए यात्रा भत्ता का भुगतान नहीं किया जाएगा|

(vi) शार्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को PET में उपस्थिति के समय सिविल सर्जन से आँख/दृष्टि टेस्ट के साथ स्वस्थता प्रमाणपत्र लाना होगा, जिसके बिना उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी|

(vii) PWD(PH) को शारीरिक क्षमता परीक्षा से छूट प्रदान की गई है|

रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने की दशा में, सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधिकार पर, लिखित परीक्षा की मैरिट के आधार पर शारीरिक क्षमता परीक्षा के लिए एक अतिरिक्त सूची तैयार की जा सकती है।

आवश्यक सूचना / निर्देश :

1. आवेदक रिक्तियों के आधार पर केवल मध्यप्रदेश क्षेत्र के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदकों को केवल एक बार online आवेदन फार्म प्रस्तुत करना होगा। विज्ञापन द्विभाषी है तथा किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में दी गई विस्तृत सूचना को अंतिम रूप में सही माना जाएगा।
2. योग्यता मापदंड में स्पष्ट रूप से उल्लेखित अन्य कोई भी शैक्षणिक योग्यता स्वीकार नहीं की जाएगी।

लिखित परीक्षा के लिए समय व स्थान इंगित करते हुए प्रत्येक आवेदक के लिए प्रवेश-पत्र परीक्षा की दिनांक से 15 दिवस पूर्व www.fciregionaljobs.com & www.fcimpapply.com से डाउनलोड किए जा सकते है। लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश-पत्र पोस्ट या ई-मेल द्वारा नहीं भेजे जाएगे। आवेदक, जो कि अपने प्रवेश-पत्र ऑनलाइन जनरेट कर पाने में सक्षम नहीं है वे ई-मेल आईडी agmpermp.fci@nic.in पर परीक्षा की तिथि से कम से कम एक सप्ताह पूर्व संपर्क करें। फिर भी, यदि शिकायतों का समाधान नहीं होता है तो, आवेदक सहायक महाप्रबंधक (कार्मिक), भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल से ऑनलाइन प्रवेश-पत्र जनरेट करवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन फार्म प्रस्तुत करने के सबूत के साथ संपर्क करें। चुने गए उम्मीदवारों की संक्षिप्त सूची वेवसाईट पर पोस्ट कर दी जाएगी, जिसके लिए आवेदक वेवसाइट के संपर्क में रहे। उम्मीदवारों की संक्षिप्त चयन (शार्टलिस्टेड) सूची वेबसाइट www.fciregionaljobs.com & www.fcimpapply.com पर पोस्ट कर दी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में प्रस्तुत होने पर ही उम्मीदवार चयन के पात्र होगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट के द्वारा संपर्क में रहे।

सामान्य सूचना / निर्देश :

1. राष्ट्रीयता - निगम की सेवा में नियुक्ति के लिए उम्मीदवार होगा –

    i. भारत का नागरिक, या
    ii. नेपाल के विषय में, या
    iii. भूटान के विषय में, या
    iv. तिब्बती शरणार्थी, जो 01 जनवरी 1962 से पूर्व भारत के स्थायी रूप से बसने के इरादे से आ गया हो,
    v. भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका एवं पूर्वी अफ्रीकी देशों के केन्या, युगान्दा, एवं संयुक्त गणराज्य तंजानिया (पूर्व तांग्यायिका और जांजीबार) जांविया, मालवी, ज़ैरे तथा इथोपिया एवं वियतनाम से भारत में स्थाई रूप से बसने के इरादे से आ गए हो।

बशर्ते उपरोक्त श्रेणी (ii), (iii), (iv) एवं (v) से संबंधित व्यक्तियों के पास अपनी उम्मीदवारी के पक्ष में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र दिया गया हो।

2. उम्मीदवारों को आवेदन-पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर यह इंगित करना होगा कि क्या वे सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यकों जैसे मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौध्द, जैन या पारसी में से एक है।

3. पद का वेतनमान IDA पैटर्न तथा सामान्य भत्ते जैसे HRA, यात्रा भत्ता सुविधा इत्यादि पर आधारित है। ये प्रतिशत आधारित DA वेतनमान है। सकल प्राप्ति तैनाती स्थान के आधार पर भिन्न हो सकती है।

4. मध्यप्रदेश क्षेत्र के अंतर्गत FCI की सेवाओं में नियुक्त कार्मिकों की वरिष्ठता, नियुक्ति के लिए योग्यता आदेश जिसके द्वारा उनका अंतिम चयन किया गया, के द्वारा निर्धारित की जाएगी। उनकी पदस्थापना भारतीय खाद्य निगम की आवश्यकतानुसार मध्यप्रदेश राज्य में की जाएगी| कार्मिकों की वरिष्ठता क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में अनुरक्षित की जाएगी।

5. केंद्र/राज्य सरकार/ सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी एवं विभागीय उम्मीदवार अपने नियोक्ता से अनुमति लेने के बाद ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। उसकी उम्मीदवारी अनिवार्य पात्रता मापदंड को पूरा करने की शर्त के अधीन है और उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने वर्तमान नियोक्ता (यदि कोई हो तो) से "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" प्राप्त करें, दस्तावेजों के सत्यापन के समय इसे प्रस्तुत करना चाहिए।

6. विज्ञापन में विर्निदिष्टानुसार को छोड़कर उम्मीदवार को कैलकुलेटर और अन्य इलैक्ट्रानिक गजट उपयोग करने की अनुमति नही है।

7. परीक्षा में केवल वैकल्पिक प्रकार के बहु-विकल्पीय प्रश्न शामिल होगे। इसके लिए ओ.एम.आर. उत्तर पुस्तिका प्रदान की जाएगी। ओ.एम.आर. उत्तर पुस्तिका को उसमें दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल नीले/काले बॉल प्वाइंट पैन से भरना होगा। उम्मीदवारों को रजिस्टर्ड ओ.एम.आर. शीट में अपना नाम, जन्मतिथि अनुक्रमांक रजिस्टर्ड आवेदन नंबर और प्रश्न-पत्र बुकलेट नंबर आदि को सही तरह से उचित गोले/बॉक्स भरते हुए भरना होगा। उम्मीदवारों को उत्तर पुस्तिकाओं पर रनिंग हैंड में अपने नाम के हस्ताक्षर करने होगे। उन उत्तर पुस्तिकाओं को जिनमें उम्मीदवारका नाम, अनुक्रमांक, हस्ताक्षर आदि निर्धारित स्थान पर भरे नहीं गए होगे, उन्हें जांचा नहीं जाएगा और शून्य अंक दिए जाएगे। यदि आरक्षित श्रेणी वाले उम्मीदवार अपनी श्रेणी को ओएमआर शीट में उचित प्रकार से नहीं लिखतेहैं, तो अनारक्षित श्रेणी के माने जाएगें|

ओ.एम.आर. शीट को मशीन के द्वारा पढ़ा जाएगा और अत: किसी भी दिशा-निर्देश का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में शून्य अंक दिए जाएगें। उम्मीदवार अपने हित लाभ के लिए प्रश्न पुस्तिका/ओ.एम.आर. उत्तर पुस्तिका में दिए गए दिशा-निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करें। दिशा-निर्देशों के गैर-अनुपालन के संबंध में किसी भी प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

8. लिखित परीक्षा के सभी 120 बहु-विकल्पीय प्रश्न होगे और प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का है। अत: प्रत्येक के लिए 01 अंक होगा और लिखित परीक्षा 120 अंक की होगी। गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक नहीं होगे।

9. प्रश्न पत्र में किसी भी विवाद की स्थिति में (यदि कोई हो तो) उसे परीक्षा संपन्न होने के 07 दिनों के भीतर agmpermp.fci@nic.in की जानकारी में लाना होगा। उसके बाद प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के किसी अन्य माध्यम पर विचार नहीं किया जाएगा।

10. बड़ी संख्या में आवेदन, पात्रता की छटनी, श्रेणी एवं अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए लिखित परीक्षा के लिए बुलावा पत्र अपलोड करने से पहले विचार नहीं किया जाएगा।

11. उम्मीदवारों को अपने हित लाभ के लिए यह परामर्श दिया जाता है कि वे अपने मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी स्पष्ट रूप से प्रदान करें क्योंकि इसे भविष्य में पत्राचार हेतु उपयोग किया जाएगा।

12. यह अनिवार्य है कि सभी उम्मीदवार बिना किसी चूक के निर्दिष्टानुसार अपने नवीनतम फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करें। हेड गियर अथवा कैप के साथ फोटो स्वीकार्य नहीं है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ पी.एच./ सेवारत रक्षाकर्मी एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले निर्धारित प्रारूप अनुबंध क्रमश: ए, बी, सी, डी, एवं ई में दिए गए है। उम्मीदवार यह नोट करें कि इन प्रमाण-पत्रों/ दस्तावेजों को अन्य आवश्यक अनुलग्नकों के साथ नामित पते पर भेजने की आवश्यकता होगी यदि वे लिखित परीक्षा/ शारीरिक योग्यता परीक्षा के आधार पर शॉर्टलिस्टि किए जाते हैं, जिसकी सूचना नामित वेबसाइट www.fciregionaljobs.com & www.fcimpapply.com के माध्यम से दी जाएगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ पीडब्लूडी/भूतपूर्व सैनिक अथवा सेवारत रक्षाकर्मी उम्मीदवार जो शुल्क छूट प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें उपरोक्तानुसार संबंधित दस्तावेज/प्रमाण-पत्र(जो आवेदन शुल्क से छूट के सबूत के रूप में) अपलोड करना चाहिए। महिला आवेदकों को ऐसा दस्तावेज जिसमें लिंग दर्शाया गया हो, जैसे माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र/ जाति प्रमाण-पत्र/ कॉलेज पहचान-पत्र/ आधार कार्ड/ वोटर आईडी कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस/ पासपोर्ट आदि अपलोड करना चाहिए। पुरुष उम्मीदवार जो अनारक्षित श्रेणी,अन्य पिछड़ा वर्ग से क्रीमी लेयर के है, उन्हें आवेदन शुल्क से छूट प्राप्त नहीं है, उन्हें इस स्थिति में किसी दस्तावेज/प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है।

14. नीचे दी गई सूची में से किन्ही 03 (तीन) परीक्षा केंद्रो का वरियता आधार पर चुनाव करना होगा।

मध्य प्रदेश क्षेत्र							
केंद्र कोड	01	02	03	04	05	06	07
नगर	भोपाल	इंदौर	जबलपुर	ग्वालियर	उज्जैन	सतना	सागर

15. उम्मीदवार द्वारा फार्म जमा करने के पश्चात परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने की अनुमति नही होगी। अत: उम्मीदवार सतर्क होकर केंद्रो का चुनाव करें तथा वही अपने आवेदन में इंगित करें।

16. निगम किसी भी केंद्र को निरस्त करने या जोड़ने और उस केंद्र के उम्मीदवारों को किसी अन्य केंद्र पर उपस्थित होने के लिए कहने का अधिकार सुरक्षित रखता है। निगम यह भी अधिकार सुरक्षित रखता है कि परीक्षा लेने हेतु उम्मीदवारों को किसी एक केंद्र से किसी अन्य केंद्र में बदल सकता है।

17. **टाई मामलों का समाधान – किसी एक विशिष्ट पद में टाई होने के मामले में, टाई का समाधान निम्नानुसार किया जाएगा – उम्मीदवार की संक्षिप्त सूची जन्मतिथि अर्थात जिस उम्मीदवार की आयु अधिक होगी, उसे वरीयता प्रदान की जाएगी, फिर भी यदि टाई रहता है तो टाई की समाधान अंग्रेजी नामों के वर्ण क्रमानुसार अर्थात जिस उम्मीदवार का नाम अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आने वाले अक्षर/वर्ण से शुरू होगा, को वरीयता दी जाएगी।**

18. आवेदन प्रस्तुत करने और पात्रता शर्तों को पूरा करने मात्र से ही कोई भी व्यक्ति लिखित परीक्षा इत्यादि में उपस्थित होने का अधिकार नहीं रखता।

19. वॉचमैन के पद हेतु लिखित परीक्षा व शारीरिक योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर (पात्रता शर्तों को पूरा किए बिना) पद हेतु अंतिम चयन के लिए उम्मीदवार के किसी भी दावें को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

20. उम्मीदवारों को भाखानि के अतिरिक्त निर्देशों, यदि कोई हो तो उनका पालन करना चाहिए।

21. इन रिक्तियों की भर्ती, भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कोर्ट के निर्णय के अधीन है।

22. आवेदन के परिणाम के संबंध में किसी भी स्तर पर कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

23. समस्त नियुक्तियां निगम के द्वारा समय-समय पर लागू नियमों व विनियमों के अधीन होगी। अन्य लाभ जैसे कि CPF, ग्रेज्यूटी, अवकाश यात्रा रियायते, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा प्रतिपूर्ति इत्यादि निगम के संशोधित नियमानुसार होगी।

24. चयनित उम्मीदवार को मध्यप्रदेश क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में तैनात किया जा सकता है। हालांकि, उन्हें निगम के हित में देश में कहीं भी तैनात किया जा सकता है।

25. लिखित परीक्षा / शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए कोई टी.ए./डी.ए. प्रदान नही किया जाएगा।

26. आवेदक सुनिश्चित करें कि 01.10.2017 को वह पात्रता मापदंड जैसे योग्यता, अनुभव, उम्र आदि को पूरा करते है। आवेदन करने से पहले आवेदक खुद संतुष्ट हो कि वे आवश्यक योग्यता, अनुभव एवं उम्र आदि को पूरा करते है। यदि यह पाया जाता है कि आवेदन द्वारा दी गई जानकारी किसी भी प्रकार से गलत है या जानबूझकर छिपाई गई है तो जब भी प्रबंधन को पता चलता है, तुरंत उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि दी गई सूचना की सत्यता के बारे में वे पूर्ण संतुष्ट हों। किसी भी स्तर पर अयोग्य पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

27. लिखित परीक्षा/ शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी करना उम्मीदवारी स्वीकार्य करने का अधिकार नहीं देता है एवं पात्रता मापदंड पूरा करने की सूचना के तौर पर नहीं लिया जाए।

28. जो आवेदक पात्रता मानदंड पूरा करते है उन्हें वरीयाता एवं रिक्तियों के अनुसार नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा।

29. वेबसाइट पर आवेदन पंजीकरण/प्रस्तुत करने से पहले आवेदकों को विज्ञापन/वेबसाइट पर दिए गए अनुदेशों का अनुसरण करना चाहिए एवं उनके पास निम्न होना चाहिए –

    a) **वैध ई-मेल आईडी एवं मोबाइल नं.** ऑनलाइन आवेदन फार्म में दर्ज ई-मेल आईडी एवं मोबाइल न. भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक वैध एवं सक्रिय होने चाहिए।एक बार दर्ज होने के बाद ई-मेल आईडी एवं मोबाइल नं. में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। गलत या एक्पायार्ड ई-मेल आईडी एवं मोबाइन नं. के लिए आवेदक खुद जिम्मेदार होगा।

    b) **फोटोग्राफ** – एक हाल ही में ली गई रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ, अच्छा होगा यदि इसकी पृष्ठभूमि सफेद हो एवं तीन माह से अधिक पुरानी नहीं हों, को स्केन करके ऑनलाइन आवेदन फार्म निर्धारित स्थान पर अपलोड करें। ढ़के हुए सर (हैडगियर) या टोपी में फोटोग्राफ स्वीकार्य नहीं है। फोटोग्राफ की फाइल का आकार 20 केबी से 40 केबी के बीच होना चाहिए।

c) **हस्ताक्षर -** सफेद बैकग्राउंड पर हस्ताक्षर (नीले/काली स्हायी के पैन से) वेबसाइट पर दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार स्कैन किए जाए एवं ऑनलाइन आवेदन में दिए गए स्थान पर अपलोड करें। आवेदक सुनिश्चित करें कि पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान सभी स्तरों एवं / या स्थानों पर हस्ताक्षर एक जैसे ही हों। यदि हस्ताक्षरों में विभिन्नता पाई जाती है तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। आवेदक सुनिश्चित करें कि अपलोड किए गए उसके हस्ताक्षर स्पष्ट/पहचान योग्य एवं निर्धारित स्थान पर है। फाइल का आकार 10 केबी से 20 केबी के बीच होना चाहिए।

d) **आवेदन शुल्क में छूट के लिए प्रमाण पत्र** : एस.सी./एस.टी./पी.डब्ल्यू.डी./भूतपूर्व सैनिक या सेवारत सैन्य कार्मिक आवेदक जो शुल्क में छूट चाहते है, उन्हें संबंधित दस्तावेज/प्रमाण-पत्र जैसे कि आवेदन शुल्क में छूट के लिए सबूत हेतु ऊपर बताया गया है, अपलोड करना चाहिए। शुल्क में छूट चाहने वाली महिला आवेदकों को ऐसा दस्तावेज जिसमें लिंग दर्शाया गया हो, जैसे मिडिल स्टैंडर्ड प्रमाण-पत्र/जाति प्रमाण-पत्र/आधार कार्ड/वोटर आई.डी.कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट आदि कोई दस्तावेज अपलोड़ किया जाना चाहिए। स्कैन की गई फाइल का आकार 20 केबी से 60 केबी के बीच होना चाहिए।

30. जब तक की कहा न जाए, आवेदन के संदर्भ में कोई भी मूल प्रमाण-पत्र / दस्तावेज भेजने की आवश्यकता नहीं है । आवेदक यह भी नोट करें कि लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर योग्य पाये जाने पर जो कि निर्धारित वेबसाइट www.fciregionaljobs.com & www.fcimpapply.com पर प्रदर्शित कर दिया जाएगा, आवश्यक प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित फोटो प्रतियों को भेजने/ निर्धारित पते पर अपलोड/ वेबसाइट पर अपलोड करने की आवश्यकता होगी यद्यपि दस्तावेज सत्यापन स्तर पर मूल प्रमाण-पत्र जांचे/सत्यापित किए जाएगे।

31. प्रबंधन को अतिरिक्त परीक्षा/शारीरिक योग्यता परीक्षा आयोजित करने या आवेदक की शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के संबंध में कोई अतिरिक्त दस्तावेज/ साक्ष्य मांगने का अधिकार है।

32 विभागीय आवेदक नोट करें कि उनकी उम्मीदवारी उनके नियोक्ता द्वारा दिए गए "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" के अधीन है जो लिखित परीक्षा/शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर योग्य पाए जाने पर जो कि निर्धारित वेबसाइट www.fciregionaljobs.com & www.fcimpapply.com पर प्रदर्शित किया जाएगा, भेजने/अन्य आवश्यक संलग्नको के साथ अपलोड किए जाने की आवश्यकता पड़ेगी।

33. लिखित परीक्षा PET के लिए जारी प्रवेश-पत्र या दस्तावेज सत्यापन के लिए संक्षिप्त सूची जारी करने मात्र से उम्मीदवारी स्वीकार करने का कोई भी अधिकार नहीं होगा और न ही पद के लिए पात्रता मापदण्डों को पूरा करने की स्वीकृति के रूप में माना जाना चाहिए। यह किसी भी व्यक्ति को भाखानि के साथ रोजगार देने का अपरिहार्य अधिकार नहीं देता।

34. किसी भी तरीके के निगम को प्रभावित करने का कोई भी अनुचित प्रयास अयोग्य घोषित करने का परिणाम होगा और तत्काल उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

35. भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए, कृपया agmpermp.fci@nic.in पर ई-मेल करें। किसी भी अन्य प्रकार के पत्राचार को मान्य नहीं किया जाएगा। हालांकि किसी भी प्रकार की आपत्ति (Query) के कारण भर्ती प्रक्रिया की निर्धारित तिथियों के आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं है।

36. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति उनके चिकित्सा आधार पर स्वस्थता और चरित्र-सत्यापन, पूर्ववृत्त और जहां कही भी लागू हो, के अधीन की जाएगी।

37. परीक्षा के संचालन और मेरिट सूची तैयार करने से संबंधित सभी मामलों में निगम का निर्णय अंतिम होगा और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा और इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

38. कोई भी ऐसा व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, जो कि निगम की सेवा से या किसी राज्य या केंद्र सरकार के विभाग या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से पहले से ही बर्खास्त कर दिया गया हो या जिन्हें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति प्रदान कर दी गई हो।

39. कोई भी व्यक्ति इस नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, जिसे नैतिक विषमता से जुड़े किसी भी अपराध के लिए न्यायालय में दोषी ठहराया गया हो।

40. आवेदन करने के लिए चरण और आवेदन शुल्क का भुगतान करने का तरीका –

आवेदन फार्म दो भागों में अर्थात भाग -1 एवं भाग -2 में भरना होगा :

भाग -1 :

a) उम्मीदवार को अपेक्षित जानकारी जैसे उम्मीदवार का नाम, लिंग, जन्मतिथि, श्रेणी चाहे विकलांग व्यक्ति, चाहे विभागीय (भाखानि)कर्मचारी, लिखित परीक्षा केंद्र, शैक्षणिक योग्यता, ई-मेल आईडी, मोबाइल नं., अनुभव प्रमाणपत्र, पत्राचार का पता, घोषणा इत्यादि भरना होगा। विवरण जमा (submit) करने पर उम्मीदवारों को उन्हें अपना अंतिम डाटा जमा (submit) करने से पहले भरे हुए विवरणों की तुरंत जांच एवं भरने/सुधार करने के लिए कहा जाएगा।

b) फोटोग्राफ, हस्ताक्षर एवं प्रमाण-पत्र/दस्तावेज आवेदन शुल्क में छूट प्राप्त करने हेतु वेबसाइट की लिंक "फोटो, हस्ताक्षर, प्रमाण-पत्र/दस्तावेज स्कैन करने के लिए दिशा-निर्देश" में दिए गए निर्देशानुसार अपलोड किया जाना है। आवेदन शुल्क में छूट के लिए फोटो, हस्ताक्षर और प्रमाण-पत्र/ दस्तावेज की इमेज फाइल JPG या JPEG प्रारूप में होना चाहिए। फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और प्रमाण-पत्र/दस्तावेज अपलोड़ करने हेतु 03 अलग-अलग लिंक होगे। संबंधित लिंक "अपलोड़ फोटोग्राफ, हस्ताक्षर एवं प्रमाण-पत्र/ दस्तावेज पर क्लिक करें।

नवीनतम पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ मुख्य रूप से सफेद पृष्ठभूमि के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए। फोटोग्राफ के लिए फाइल का साइज 20 केबी से 40 केबी के बीच होना चाहिए।

हस्ताक्षर के लिए उम्मीदवार को सफेद पेपर पर नीले/काले इंक पैन से हस्ताक्षर करना होगा। यदि परीक्षा के समय उत्तर पुस्तिका पर एवं बाद के चरणों में, यदि लागू हो, उम्मीदवार के हस्ताक्षर प्रवेश पत्र/उपस्थिति शीट पर स्कैन किए हुए हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते है, तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। फाइल का साइज 10 केबी से 20 केबी के बीच होना चाहिए।

उम्मीदवार को आवेदन शुल्क में छूट के लिए संबंधित प्रमाण-पत्र/दस्तावेज को स्कैन कर अपलोड करना होगा। {SC/ST/PWD/भूतपूर्व-सैनिक के संबंध में सैनिक (ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होनें भूतपूर्व सैनिकों को पुन: रोज़गार प्राप्त करने के लिए दिए जाने वाले आरक्षण के लाभों का उपभोग कर लिया है और केंद्र सरकार के अधीन ग्रुप सी एवं डी में नियमित आधार पर सिविल क्षेत्र में पहले ही रोज़गार प्राप्त कर लिया है, वे शुल्क रियायत अथवा भूतपूर्व (EXS) श्रेणी के अधीन आरक्षण के लाभों का दावा करने के लिए पात्र नहीं होंगें| तथापि, वे केवल आयु में छूट के लिए पात्र होंगें|)एवं महिला उम्मीदवारों को केवल एक पेज में}| संबंधित प्रमाण-पत्र/दस्तावेज के अपलोड करने में विफल रहने की स्थिति में उम्मीदवारी स्वीकार्य नहीं की जाएगी। फाइल का साइज 20 केबी से 60 केबी के बीच होना चाहिए।

उम्मीदवार के फोटोग्राफ हस्ताक्षर एवं प्रमाण-पत्र/दस्तावेज (यदि लागू हो तो) अपलोड न होने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन स्वीकार/पंजीकृत नहीं किए जाएगे।

अपलोड करने के बाद उम्मीदवारों को अपलोड की गई इमेज का पुनरावलोकन करना होगा। उम्मीदवार को यहां यह सलाह दी जाती है कि वे यह देखे कि अपलोड की गई उनकी फोटो उचित रेखा में साफ तौर पर दर्शनीय/पहचानने योग्य हो एवं नमूना हस्ताक्षर भी उचित जगह पर दर्शनीय योग्य हो। यदि किन्हीं कारणों से इमेज भलीभांति अपलोड नहीं की हुई है तो उम्मीदवार इन इमेजो को फिर से उसी प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए अपलोड कर सकते है। किसी भी स्थिति

में इन स्थानों को बदला नहीं जा सकता है। यदि उम्मीवार अपलोड की गई इमेज से संतुष्ट होते हैं, तो वे आगे बढ़ सकते है।

c) आवेदन प्रस्तुत करना –

- घोषणा पर क्लिक करने से पूर्व उम्मीदवार भरी हुई समस्त सूचनाओं/जानकारी का पुनरावलोकन कर सकते है।
- यदि उम्मीदवार भरी गई समस्त सूचनाओं को सही पाता है तो वह घोषणा का चुनाव कर सकता है/कर सकती है एवं पेज पर दिया गया फाइनल submit बटन पर क्लिक कर सकते है।

आवेदन शुल्क से छूट प्राप्त उम्मीदवारों के लिए :

केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ महिला उम्मीदवार/भूतपूर्व सैनिकों (ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होनें भूतपूर्व सैनिकों को पुन: रोज़गार प्राप्त करने के लिए दिए जाने वाले आरक्षण के लाभों का उपभोग कर लिया है और अब वे केंद्र सरकार के अधीन ग्रुप सी एवं डी में नियमित आधार पर सिविल क्षेत्र में पहले ही रोज़गार प्राप्त कर लिया है, वे शुल्क रियायत अथवा भूतपूर्व (EXS) श्रेणी के अधीन आरक्षण के लाभों का दावा करने के लिए पात्र नहीं होंगें| तथापि, वे केवल आयु में छूट के लिए पात्र होंगें|)|

- जैसे ही उम्मीदवार submit बटन पर क्लिक करता है तो रजिस्टर्ड आवेदन फार्म एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ जनरेट होगा। उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि वे अपने रिकार्ड एवं भविष्य में पत्राचार के लिए रजिस्टर्ड आवेदन फार्म का प्रिंट ले लें।

- आवेदन शुल्क से छूट प्राप्त उम्मीदवारों को एमएमएस और/या ई-मेल के माध्यम से पुष्टि के रूप में एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा, जिसे जन्मतिथि के साथ रजिस्टर्ड आवेदन फार्म का प्रिंट निकालने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार आवेदन शुल्क से छूट प्राप्त आवेदकों के पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होती है। परीक्षा की तिथि जो कि निर्धारित वेबसाइट www.fciregionaljobs.com & www.fcimpapply.com पर सूचित की जायेगी, से 15 दिन पहले प्रवेश-पत्र डाउनलोड करने के लिए जन्मतिथि के साथ पंजीकरण संख्या का प्रयोग किया जा सकता है। यदि आवेदक पंजीकृत आवेदन फार्म का प्रिंट नहीं ले पा रहा है एवं पंजीकरण संख्या का एस.एम.एस. एवं / या ई-मेल भी प्राप्त नहीं होता है, तो आवेदक वेबसाइट www.fciregionaljobs.com & www.fcimpapply.com पर दिया गया "पंजीकृत आवेदन फार्म/प्रिंट/ पुन: प्रिंट करें/ आवेदन शुल्क के भुगतान हेतु, यदि पिछला प्रयास असफल रहा (पुन: लॉग इन)" लिंक के माध्यम से डाउनलोड/एक्सेस कर सकते हैं|

भाग- 2

उन आवेदकों के लिए जिन्हें आवेदन शुल्क का भुगतान करना है :-

यह एससी/एसटी/पीडब्लूडी/भूतपूर्व सैनिकों एवं महिला आवेदकों पर लागू नहीं है| (ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होनें भूतपूर्व सैनिकों को पुन: रोज़गार प्राप्त करने के लिए दिए जाने वाले आरक्षण के लाभों का उपभोग कर लिया है और अब वे केंद्र सरकार के अधीन ग्रुप सी एवं डी में नियमित आधार पर सिविल क्षेत्र में पहले ही रोज़गार प्राप्त कर लिया है, वे शुल्क रियायत अथवा भूतपूर्व (EXS) श्रेणी के अधीन आरक्षण के लाभों का दावा करने के लिए पात्र नहीं होंगें| तथापि, वे केवल आयु में छूट के लिए पात्र होंगें|) |

1. अनंतिम रजिस्ट्रेशन के पश्चात भुगतान के लिए वेबसाइट पर एक लिंक दिया जाएगा जो आवेदक को https://www.onlinesbi.com पर ले जाएगा । तदुपरांत आवेदक SBI लिंक पर दिए गए निर्देशों का अनुपालन करें एवं भुगतान पूरा करने के <u>**लिए "स्टेट ऑफ कारपोरेट/इंस्टीट्यूशन" को "मध्यप्रदेश" एवं पीएसयू- सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम को कारपोरेट/संस्था के तौर पर चुने। फिर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नाम में भारतीय खाद्य निगम का चुनाव करें| आगे भर्ती शुल्क 2017 के रूप में भुगतान श्रेणी का चयन करें|**</u> आवेदक इंटरनेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड (वीजा/मास्टर्स या रुपे)/ क्रेडिट कार्ड (वीजा/मास्टर्स)/ बैंक ई-चालान के माध्यम से भुगतान कर सकते है। भुगतान करने के बाद स्क्रीन पर भुगतान पर्ची जनरेट होगी। आवेदकों को उस भुगतान पर्ची का प्रिंट लेना चाहिए तथा भविष्य में संदर्भ के लिए सेव/संरक्षित करके रखना चाहिए।

2. आवेदक जो ई-चालान के माध्यम से भुगतान करना चाहते है वे https://www.onlinesbi.com पर दिए गए पूर्व कथित लिंक पर विजिट करें तथा ई-चालान डाउनलोड करने के लिए <u>**"स्टेट ऑफ कारपोरेट/इंस्टीट्यूशन"**</u> को <u>**"मध्यप्रदेश"**</u> के तौर पर चुने। आवेदक नकद भुगतान हेतु नजदीकी SBI शाखा में जाएं एवं SBI क्लैक्ट संदर्भ संख्या प्राप्त करें तथा पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर पुन: विजिट करें तथा आवश्यक भुगतान विवरण दर्ज करें।

3. आवेदक जो बाद में भुगतान करना चाहते है, वे उन्हें लिंक "पंजीकृत आवेदन फॉर्म प्रिंट/पुन: प्रिंट करने के लिए यहां क्लिक करें" पर क्लिक करना चाहिए | यदि आवेदन का भुगतान शुल्क हेतु पूर्व प्रयास सफल नहीं हुआ था तो वेबसाइट www.fciregionaljobs.com & www.fcimpapply.com पर दिए गए "RE-LOGIN " पर क्लिक चाहिए।

4. यह अनिवार्य है कि भुगतान करने के पश्चात यूनिक भुगतान संदर्भ संख्या के माध्यम से लॉगिन द्वारा ऑनलाइन पोर्टल में जमा दिनांक एवं ई-रसीद पर प्रिंट किया हुआ SBI Collect Reference Number का विवरण प्रस्तुत करें। यदि कोई उम्मीदवार ऑनलाइन पोर्टल में भुगतान करने के पश्चात नियत दिनांक के भीतर इन विवरणों को प्रस्तुत (सबमिट) करने में असफल रहता है , तो उसका आवेदन **"अपूर्ण"** माना जाएगा एवं उसे सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा|

5. बैंक कमीशन प्रभारों का वहन आवेदकों द्वारा किया जाएगा। यदि आवेदक किसी गलत खाते में शुल्क जमा कर देता है तो इसके लिए भाखानि जिम्मेदार नहीं होगा। <u>12.11.2017</u> के बाद जमा किया गया आवेदन शुल्क वैध नहीं होगा।

6. एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। अत: उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे आवेदन शुल्क का भुगतान एवं आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता की जांच कर लें। **भुगतान एक मुश्त में किया जाना चाहिए। अंश राशि भुगतान स्वीकार्य नहीं होगा।**

7. उम्मीदवार यह नोट करें कि यदि उनके द्वारा किया गया ट्रांज़ेक्शन SBI "सक्सेज" नहीं बताता है अर्थात SBI द्वारा भुगतान की स्थिति "लंबित", "असफल" "निरस्त" या अन्य तकनीकी मामला बताता है तो वह उम्मीदवार की जिम्मेदारी होगी। यदि किया गया ट्रांज़ेक्शन SBI द्वारा उम्मीदवार को वापस किया जाता है अथवा निरस्त किया जाता है और एफसीआई को नियत दिनांक तक भुगतान प्राप्त नहीं होता है तो उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

8. उम्मीदवार यह भी नोट करें कि उनके द्वारा ऑनलाइन सिस्टम से भरे गए भुगतान का विवरण SBI द्वारा प्रदान किए गए ट्रांज़ेक्शन विवरण से मेल नहीं खाता है तो उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

अब आवेदन प्रक्रिया का चरण - 2 पूरा होता है। जन्मतिथि के साथ दिए गए रजिस्ट्रेशन नंबर को परीक्षा की दिनांक से 15 दिन पहले प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए उपयोग किया जा सकता है, जिसे नामित वेबसाइट www.fciregionaljobs.com & www.fcimpapply.com में अधिसूचित किया जाएगा।

आवेदन शुल्क हेतु चैक, मनीआर्डर, पोस्टल आर्डर, पे-आर्डर, बैंकर्स चैक, पोस्टल स्टाम्प, डिमांड ड्राफ्ट आदि स्वीकार्य नहीं है।

स्थान : भोपाल

अनंतिम कार्यक्रम

1.	ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना प्रारंभ होगा	12.10.2017 को 10:00 Hrs (IST)
2.	भुगतान की जाने वाला आवेदन शुल्क रु.300/-	• SBI इंटरनेट बैंकिंग/ अन्य प्रमुख बैंक इंटरनेट बैंकिंग/डेबिट/क्रेडिट कार्ड के द्वारा आवेदन शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि 12.11.2017 • बैंक ई-चालान जनरेट करने की अंतिम तिथि 12.11.2017 • SBI की शाखाओं में ई-चालान के द्वारा आवेदन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि – 12.11.2017
3.	ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि	12.11.2017 को 23:59 Hrs तक (IST)
4.	वेबसाइट पर प्रवेश पत्र की उपलब्धता	परीक्षा की घोषित तारीख से 15 दिन पूर्व से
5.	लिखित परीक्षा की तारीख	वेबसाइट www.fciregionaljobs.com & www.fcimpapply.com पर घोषणा की जाएगी।

नोट – इस विज्ञापन से संबंधित शुद्धिपत्र, यदि कोई होता है, तो केवल वेबसाइट www.fciregionaljobs.com & www.fcimpapply.com पर प्रकाशित किया जाएगा। उम्मीदवार वेबसाइट www.fciregionaljobs.com & www.fcimpapply.com के द्वारा नियमित अपडेट के लिए संपर्क में रह सकते है।

अंतिम क्षणों में अवरोध से बचने के लिए, उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे पर्याप्त समय से पूर्व आवेदन करें। भाखानि नेटवर्क की समस्याओं या ऑनलाइन आवेदन जमा करने में आने वाली अन्य समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यदि कोई उम्मीदवार अपना डाटा प्रस्तुत कर चुका है परंतु आवेदन शुल्क जमा न हो पाया हो, यदि लागू हो तो उम्मीदवार की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी नहीं होगी।